आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Department of Sports

Pandit Deendayal Upadhyay National Welfare Fund for Sportspersons

निर्धन खिलाड़ियों, उनके परिवारों, कोचों और सहयोगी स्टाफ़ के लिए सेवानिवृत्ति, इलाज, चोट या प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता।

क्या मिल सकता है

इन राशियों तक सहायता मिल सकती है: निर्धन सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये; दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों को 5 लाख रुपये; इलाज के लिए 10 लाख रुपये; प्रशिक्षण या प्रतियोगिता में चोट के लिए 10 लाख रुपये; माता पिता निर्धन हों या महासंघ की मान्यता रद्द हो तो प्रशिक्षण, उपकरण और आयोजनों के लिए 2.5 लाख रुपये; कोचों और सहयोगी स्टाफ़ को 2 लाख रुपये; उनके इलाज के लिए 4 लाख रुपये। मंत्रालय विवेकाधीन खंड के तहत 20 लाख रुपये तक मंज़ूर कर सकता है।

किसके लिए है

दिशानिर्देशों में बताए अनुसार निर्धन खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ़, तथा दिवंगत खिलाड़ियों के परिवार।

मुख्य शर्तें

- आय सालाना 8 लाख रुपये से कम हो, या कोई आय न हो।
- नियमित सरकारी या PSU कर्मचारी पात्र नहीं।

दस्तावेज़

- चुनी गई श्रेणी के लिए पोर्टल और दिशानिर्देशों में बताए अनुसार

आवेदन कैसे करें

1. dbtyas-sports.gov.in पर MIS-DBT पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करें।
2. SAI 10 कार्य दिवस में आवेदन का सत्यापन करता है। मंत्रालय 45 कार्य दिवस में निर्णय का लक्ष्य रखता है।

स्थिति

जारी

आधिकारिक स्रोत: https://dbtyas-sports.gov.in/assets/annexure/PDUNWFS.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://dbtyas-sports.gov.in
आधिकारिक PDF: https://dbtyas-sports.gov.in/assets/annexure/PDUNWFS.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/pdu-national-welfare-fund-sportspersons/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।